महत्वपूर्ण

उत्तरांचल शासन
राज्य पुनर्गठन विभाग

संख्याः314/रा0पु0/XXXVII/04/2001
देहरादूनःदिनांकः 12 अगस्त, 2004

अपर मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तरांचल शासन !

विभिन्न सेवा संवर्गो के कार्मिकों के अन्तिम आवंटन से पूर्व कार्मिकों की सेवानिवृत्ति अथवा मृत्यु की स्थिति में उन्हें समस्त अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ दिये जाने के उत्तरदायित्व से सम्बन्धित प्रमुख सचिव, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या–140/28–2– (आर)/2004, दिनांक 06 अगस्त, 2004 की छाया प्रति संलग्नक सहित उत्तरांचल शासन में सभी विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित की जा रही है ।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव,

प्रतिलिपिः

1– निजी सचिव, मुख्य सचिव को संलग्नक सहित मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।

(हेमलता ढौंडियाल)
अपर सचिव

डा0 राजा राम
प्रमुख सचिव।

अ0शा0प0सं0 :140/28-2(आर)2004
उत्तर प्रदेश शासन,
उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय अनु0--2(आर)
लखनऊ : दिनांक : 06 अगस्त, 2004

प्रिय महोदय,

जैसा कि आप अवगत है, प्रदेश विभाजन के उपरान्त विभिन्न सेवा संवर्गों के कार्मिकों का दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजन का कार्य भारत सरकार के दिशा निर्देशन में राज्य परामर्शीय समिति द्वारा किया जा रहा है। अब तक अनेक राज्याधीन सेवा संवर्गों के पदों एवं कार्मिकों का दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य विभाजन किया जा चुका है, परन्तु अभी भी अनेक सेवा संवर्गों के विभाजन का कार्य प्रगति पर है।

जिन सेवा संवर्गों का विभाजन अभी तक नहीं हुआ है, उनके कार्मिक उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल राज्य में अनन्तिम रूप से उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम-2000 की धारा-75 के अधीन कार्य कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह सम्भव है कि किसी कार्मिक विशेष से सम्बन्धित सेवा संवर्ग का विभाजन होने एवं उसके सम्बन्ध मे भारत सरकार द्वारा कार्मिकों के उत्तरवर्ती राज्यों हेतु अन्तिम आवंटन से पूर्व कोई कार्मिक सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थितियों में कार्मिक को सेवानैवृत्तिक समस्त अनुमन्य लाभों को स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या एफ0न0 28/7/2002-एस आर(एस) दिनांक 7 मार्च, 2002 संलग्न है, जिसके अनुसार कार्मिक के अन्तिम आवंटन से पूर्व यदि वह सेवानिवृत्त हो जाता है अथवा मृत्यु की स्थिति मे उसे समस्त अनुमन्य सेवानैवृत्तिक लाभ उसी उत्तरवर्ती राज्य द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे जिस राज्य से वह सेवानिवृत्त होगा अथवा उसकी मृत्यु होगी। इस प्रकार उत्पन्न हुये दायित्व का विभाजन दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के मध्य उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम-2000 की आठवीं अनुसूची में उपलब्ध प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा।

अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य मे आपसे अनुरोध है कि कृपया ऐसे सेवा संवर्गों के कार्मिकों, जिनका अन्तिम विभाजन अभी भारत सरकार द्वारा नहीं किया गया है, के सेवानिवृत्त होने अथवा मृत्यु की स्थिति में भारत सरकार के उक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उक्त का व्यापक परिचालन कृपया अपने अधीनस्थ विभागाध्यक्षों/कार्यालयाध्यक्षों को भी कराने का कष्ट करें।

777/9-8-04
OSD

भवदीय,

(डा0 राजा राम)

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

07/8/2004

(नृप सिंह नपलच्याल)
प्रमुख सचिव,
राज्य पुनर्गठन विभाग
उत्तरांचल शासन

9-8-04
(हेमलता ढौंडियाल)
उप सचिव
महिला सशक्तिकरण, बाल विकास
एवं राज्य पुनर्गठन
उत्तरांचल शासन

प्रिय महोदय,

उक्त अ0शा0 पत्र की प्रतिलिपि आपको भी इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार ही व्यवस्था उत्तरांचल शासन में भी कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 राजा राम)

01- श्री नृप सिंह नपलच्याल
प्रमुख सचिव,
पुनर्गठन विभाग,
उत्तरांचल शासन देहरादून।

02- श्री सी0एम0 बेरी
पुनर्गठन आयुक्त,
उत्तरांचल शासन, लखनऊ।

F.No. 28/7/2002-SR(S)

FAX : 011-3012432 (N.B.)
011-3013142 (E.O.)
011-4624821 (L.N.B.)
011-6107962 (Trg. Div.)
011-4361230 (P.E.S.B.)

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
नई दिल्ली
NEW DELHI

Lok Nayak Bhawan,
3rd Floor, Khan Market, New Delhi

March 7, 2002

To:

The Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Uttar Pradesh, Lucknow.

The Chief Secretary,
Government of Uttaranchal,
Uttaranchal, Dehradun.

Subject: Clarification regarding sanction of pensionary benefits to the employees affected by the UP Reorganization Act, 2000

Sir,

The undersigned is directed to say that this Department has been receiving queries from State Governments regarding payment of pensionary benefits to State service personnel other than All India Services who have either expired or retired or are due retirement after the appointed day but have not been finally allocated to service to any of the successor States.

It is clarified that while normally pensionary benefits are to be sanctioned by the successor State Government to which a State Service Personnel is finally allocated to service but in cases as above, the benefits have to be sanctioned by the successor State Government from where the employee has relinquished the office on account of retirement/death. As regards apportionment of liability in respect of pensions, the same shall be guided by the VIIIth Schedule of the UP Reorganization Act, 2000.

Yours faithfully,

(R.R. Prasad)
Director (SR)

Copy to:

1. Registrar General, High Court of Judicature at Allahabad, Uttar Pradesh, Allahabad, for information.
2. Registrar General, High Court of Judicature at Nainital, Uttaranchal, Nainital, for information.